

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर(म.प्र.)
//आदेश//

क्रमांक: 478 / लेखा /2023

मण्डलेश्वर, दिनांक: 07/11/2023

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एक 3-12/2023/1/4, भोपाल, दिनांक 26.10.2023 के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के क्रम में एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक डी/488, जबलपुर, दिनांक 22.01.2015 में दिए निर्देशों के आलोक में दिनांक 17.11.2023(शुक्रवार) को मतदान के लिए न्यायिक जिला स्थापना मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

पृष्ठा.क्र. 479 / लेखा/2023

मण्डलेश्वर, दिनांक: 07/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालय,
3. पुलिस अधीक्षक, खरगोन,
4. जेल अधीक्षक, खरगोन/कसरावद/मण्डलेश्वर/महेश्वर/बडवाह,
5. शासकीय अभिभाषक/अति. शासकी अभिभाषक/जिला अभियोजन अधिकारी जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालय
6. समस्त अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालयों की ओर सूचनार्थ एवं समस्त कर्मचारीगण को सूचित किए जाने हेतु अग्रेषित ।
8. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने हेतु अग्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर